फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़ बनाम मैसर्स शिप्रा प्रोपर्टीज, सूरतगढ़ जरिये पार्टनर शरणपाल सिंह व अन्य

किस्म मुकदमा:–212 व 212(2) R.T.Act प्रकरण संख्या:–127/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता की भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 के खसरा संख्या 578/327 की 2.144 हैक्टर बारानी भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा उपयुक्त वर्णित भूमि 2.144 हैक्टर भूमि गैर कृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। बिना स्वीकृति कृषि भूमि की प्रकृति में परिवर्तन किया है। जिससे राज्य सरकार को अपूर्णीय क्षति हो रही है। जो कि भूमि को नुकसान पहुंचाने की परिभाषा में आता है। इससे भूमि नाकाबिल काश्त हो गई है। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तो एवं खातेदारी की शर्तो का उल्लघंन किया गया है। इससे राज्य पक्ष को अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 30.06.2023 को जारी टी0आई0 मूल प्रार्थना पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 की संयुक्त खाता संख्या 125 नई 87 पुरानी के खसरा संख्या 327 में 4.756 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थीगण के नाम से 2.144 हैक्टर भूमि खातेदारी अंकित है। अप्रार्थीगण अपनी हिस्सा की खातेदारी भूमि पर मौका पर कृषि कार्य ही किया जाता आ रहा हे। अभी भी सम्वत् 2080 रबी की फसल अपने हिस्सा व कब्जा की भूमि में अप्रार्थी द्वारा काश्त की गई थी। जो कि खसरा गिरदावरी से साबित है। अप्रार्थी की भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर स्थित है व बारानी किस्म की होने के कारण इसमें काश्त केवल वर्षा पर निर्भर करती है। जैरवाद रकबा संयुक्त खाता का है। अप्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य किसी काश्तकार ने गैर कृषि प्रयोजनार्थ कोई उपयोग किया गया हो तो उसके लिये अप्रार्थी पर आरोप लगाया जाना गलत व विधि विरूद्ध है। पटवारी हल्का कभी भी अप्रार्थीगण ने नही मिला है, इसलिये धमकी देने का प्रश्न ही नही उठता है। अप्रार्थीगण द्वारा जब भी खरीद कर कब्जा लिया गया था, तब जैरवाद रकबा में झाड–झंखाड़ से भरी हुई थी। इसलिये सफाई करवाकर, करावा आदि लगाकर काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी मौका पर ना तो अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य किया गया व ना ही वर्तमान में किया जा रहा है। स्वयं पटवारी हल्का द्वारा खसरा गिरदावरी कस्बा सूरतगढ़ की खसरा संख्या 578/327 में अप्रार्थी की भूमि में सम्वत् 2080 की रबी फसल में बाजरा की फसल काश्त होना अंकित किया गया है। प्रार्थी ने जानबुझकर सही तथ्यों व इस दस्तावेज का छिपाव किया गया है। जिससे यह साबित है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से उपस्थित नही हुआ है। जैरवाद रकबा संयुक्त खाता में अंकित है और राजस्व रिकार्ड में नक्शा में तरमीम भी नही की गई है, जो कि स्वयं प्रार्थी अपने प्रार्थना–पत्र के आधार, रिपोर्ट पटवारी हल्का में स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद बिना समस्त सहखातेदार को उनके हिस्सा की खरीदशुदा भूमि से वंचित करने की गर्ज से यह प्रार्थना पत्र किया गया जो कि गलत व विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र मय कोस्ट निरस्त किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 की संयुक्त खाता संख्या 125 नई 87 पुरानी के खसरा संख्या 327 में 4.756 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थीगण के नाम से 2.144 हैक्टर भूमि खातेदारी अंकित है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2080 में बाजरा की फसल काश्त का अंकन किया हुआ है। मौका पर कोई निर्माण किया हुआ है, ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया हुआ है। इसलिये सुविधा का संतुलन, ना पुरा होने वाला नुकसान तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी का ना होकर अप्रार्थीगण को होना प्रतीत होती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 30.06.2023 को जारी टी0आई0 भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़